'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन

प्रिलिम्स के लिये:

'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति2017, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन

मेन्स के लिये:

खाद्य सुरक्षा और संबंधित पहल का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च-गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये **4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है।**

- 4-स्टार रेटिंग, यात्रियों को **सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिये स्टेशन द्वारा मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन का संकेत है।**

'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन:

- **परिचय:**
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन या प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार) स्थापित करते हैं।
  - रेलवे स्टेशन को **1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल की तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी** के निष्कर्ष पर उक्त प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
  - यह प्रमाणन 'ईट राइट इंडिया' अभियान का हिस्सा है।
- **प्रमाणन वाले अन्य रेलवे स्टेशन:**
  - आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन (दिल्ली), छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (मुंबई), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन (मुंबई), वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन।

//

- **ईट राइट मूवमेंट**
    - यह सभी भारतीयों हेतु सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित कर देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये भारत और FSSAI की एक पहल है। **इसकी टैगलाइन है- 'सही भोजन बेहतर जीवन'।**
    - ईट राइट इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से जुड़ा हुआ है, जिसमें **आयुष्मान भारत**, **पोषण अभियान**, **एनीमिया मुक्त भारत** और **स्वच्छ भारत मिशन** जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    - यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तीकरण दृष्टिकोण के विवेकपूर्ण संयोजन को अपनाता है।**

संबंधित पहल:

- **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक**:
    - FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के **पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI)** विकसित किया है। इसमे मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढाँचा तथा निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तीकरण शामिल है।
- **ईट राइट अवार्ड्स:**
    - FSSAI ने नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने तथा खाद्यान्न कंपनियों तएवं व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- **ईट राइट मेला:**
    - FSSAI द्वारा आयोजित यह मेला नागरिकों को सही खान-पान हेतु प्रेरित करने के लिये एक आउटरीच गतिविधि है।

खाद्य सुरक्षा का महत्त्व:

- **पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भोजन की उपलब्धता एवं पहुँच जीवन** और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है।
    - **खाद्य जनित बीमारियाँ आमतौर पर प्रकृति में संक्रामक अथवा विषाक्त होती हैं** और अक्सर बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के कारण होती हैं।
    - अनुमानित रूप से विश्व भर में 4,20,000 लोग प्रतिवर्ष दूषित भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। खाद्य जनित बीमारी के कारण होने वाली 40% मौतों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 1,25,000 है।
- खाद्य शृंखला के हर चरण, यथा उत्पादन से लेकर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण में **खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।**
    - खाद्य पदार्थों का उत्पादन **ग्लोबल वार्मिंग** में योगदान देने वाले वैश्विक **ग्रीनहाउस-गैस** उत्सर्जन के 30% के लिये ज़िम्मेदार है।

FSSAI:

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है, यह विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है जिसने अब तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों के समाधान में सहायता की है।
- खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, 2006 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955 जैसे कई अधिनियमों और आदेशों के स्थान पर लाया गया।
- FSSAI का नेतृत्व एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह भारत सरकार के अंतर्गत सचिव पद के समकक्ष हो अथवा सचिव पद से नीचे कार्यरत न रहा हो। FASSAI स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन नहीं है।
- FSSAI को मानव उपभोग के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थों के लिये विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिये बनाया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में पूर्व-संवेष्टित वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन-सी सूचना को अंकित करना अनिवार्य है? (2016)

1- संघटकों की सूची, जिसमें संयोजी शामिल हैं
2- पोषण-विषयक सूचना।
3- चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियाँ यदि कोई हैं
4- शाकाहारी/मांसाहारी

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या;

- प्रीपैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिये खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुसार, खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित जानकारी होगी:
    - **भोजन का नाम:** भोजन के नाम में व्यापारिक नाम या पैकेज में निहित भोजन का विवरण शामिल होगा।
    - **सामग्री की सूची:** एकल घटक खाद्य पदार्थों को छोड़कर, लेबल पर सामग्री की एक सूची घोषित की जाएगी। **अतः 1 सही है।**
    - "मांसाहारी" भोजन के प्रत्येक पैकेज पर एक प्रतीक और रंग कोड द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी ताकि यह इंगित किया जा सके कि उत्पाद मांसाहारी भोजन है। प्रतीक में भूरे रंग का एक भरा हुआ वृत्त होगा, जिसका व्यास निर्दिष्ट न्यूनतम आकार से कम नहीं होगा। **अतः 4 सही है।**
    - पोषण संबंधी जानकारी या पोषण संबंधी तथ्य प्रति 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर या उत्पाद के लेबल पर निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किये जाएंगे:
        - किलो कैलोरी में ऊर्जा मूल्य;
        - प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट (चीनी की निर्दिष्ट मात्रा) और ग्राम (g) में वसा की मात्रा;
        - किसी अन्य पोषक तत्त्व की मात्रा जिसके लिये पोषण या स्वास्थ्य का दावा किया जाता है;
- जहाँ भी विटामिन और खनिजों पर संख्यात्मक जानकारी दी जाएगी, इसे मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाएगा।
- **अतः 2 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (A)

स्रोत:पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eat-right-station-certification